

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद,
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक एफ 4(9)आरडी/आरई/एनएलएम/पार्ट-ग/08

जयपुर, दिनांक: ३ MAY 2010

आदेश

श्री श्याम बिहारी माथुर, सेवानिवृत आर.ए.एस. का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग कार्यों का निरीक्षण एवं योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों की जांचों के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय मॉनीटर के रूप में चयन इस विभाग के समसंब्धक पत्र दिनांक 30.06.2009 द्वारा किया गया था। श्री माथुर का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने के कारण श्री माथुर का नाम राज्य स्तरीय मॉनीटर (पर्यवेक्षक) की चयन सूची से तुरन्त प्रभाव से पृथक किया जाता है। श्री माथुर के नाम जारी राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक का कार्ड भी निरस्त किया जाता है।

मातृ
३८(५)१०
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव (ईजीएस)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
- विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
- लेखा शाखा, ईजीएस, जयपुर।
- संबन्धित श्री श्याम बिहारी माथुर, सेवानिवृत आर.ए.एस. प्लाट न. 238बी. इन्जिनियर्स कॉलोनी, पॉच्यावाला, सिरसी रोड, जयपुर-302021 को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय को अपना राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक का कार्ड जमा करवा दें।
- रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम (ईजीएस)